न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 103/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/310

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.असकर खां उर्फ इस्कर उर्फ अस्कर पुत्र अमीन खां 2.खमेखान उर्फ खमीया उर्फ खमीदा पुत्र अमीन खां 3.मूसेखान उर्फ मूसाखां पुत्र अमीन खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिमरखिया तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री उमरदीन मेहर ,अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी अनुपस्थित।

:—निर्णयः—

दिनांक 17.10.2025

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 334,489/107,656/279 व 666/297 कुल क्षेत्रफल 16.6326 हैक्टयर भूमि वादीगण की सहखातेदारी में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि पूर्व मे वादीगण के पिता अमीनखां की खातेदारी मे अवस्थित थी। वादीगण के पिता अमीनखां का देहान्त होने पर घरेलू बोलचाल भाषा मे वादी संख्या 1 का अशुद्व नाम ईस्कर,वादी संख्या 2 का खमीदा व वादी संख्या 3 का अशुद्व नाम मूसा दायर किया गया,जबकि वादी संख्या 1 से 3 का वास्तविक नाम असकर खां,खमेखान व मूसेखान है,लेकिन राजस्व रेकर्ड मे अशुद्व प्रविष्टि के कारण वादीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओ का फायदा नही मिल रहा है,इसके कारा वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि नाम ईस्कर,खमीदा व मूसा के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि असकरखां,खमेखान व मूसेखान इन्द्राज करवानें हेतु वाद—पत्र पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादीगण का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी की ओर से जवाव पेश किया गया। वक्त बहस प्रतिवादी अनुपस्थित रहे।

3.प्रतिवादी के जवाब मे विवाद के बिन्दु निहित नहीं होने के कारण वादी के वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी खमेखान द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी,प्रदर्श 2 से 4–वादग्रस्त भूमि की नक्शा प्रति,प्रदर्श 5–वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 18 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 6– खमेखां का आधार कार्ड प्रति,प्रदर्श 7–खमेखां का वोटर कार्ड प्रति,प्रदर्श 8–खमेखां का पासपोर्ट प्रति,प्रदर्श 9–असकरखां का पासपोर्ट प्रति,प्रदर्श 10–अस्करखां का आधार कार्ड प्रति व प्रदर्श 11–मूसेखां का पासपोर्ट प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 334,489/107,656/279 व 666/297 कुल क्षेत्रफल 16.6326 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादीगण को घरेलू बोलचाल भाषा मे ईस्कर,खमीदा व मूसा नाम से पुकारे थे। वादीगण के पिता का देहान्त होने पर फोतदगी नामान्तकरण भरते समय वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान के स्थान पर ईस्कर,खमीदा व मूसा अशुद्व नाम दर्ज किए गए,जबकि वादीगण का वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान है,लेकिन अशुद्व प्रविष्टि ईस्कर,खमीदा व मूसा इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखी है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादीगण का वास्तविक असकरखां,खमेखान व मूसेखान दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादीगण का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादीगण की ओर से अपनी दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से भी साबित किया गया है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादीगण शुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज करवाने के हकदार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम ईस्कर,खमीदा व मूसा के स्थान पर वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात,बयानात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 334,489/107,656/279 व 666/297 कुल क्षेत्रफल 16.6326 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें वादीगण का अशुद्व नाम इन्द्राज होना बताया है,जबकि पत्रावली के संलग्न प्रदर्श दस्तावेजात यथा–वोटर कार्ड,जन आधार कार्ड,आघार कार्ड व पासपोर्ट की प्रतियो मे वादीगण के नाम क्रमशः असकर खां,खमेखां व मूखेखां नाम दर्ज है। इससे प्रमाणित होता है कि वादीगण के वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखे है,जो वादीगण दुरूस्ती करवाने के हकदार है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी जांच रिपोर्ट मे भी स्पष्ट अंकन किया है कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के पिता अमीनखां के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण संख्या 18 भरने के दौरान वादीगण के अशुद्व नाम दायर किए गए थे,जबकि वादीगण के वास्तविक नाम असकरखां,खमेखान व मूसेखान है,जो रिकॉर्ड मे दुरूस्ती किए जाने की रिपोर्ट मे अनुशंषा की गई है। इस प्रकार वादीगण अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहे है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपने अशुद्व नाम ईस्कर,खमीया व मूसा के स्थान पर असकरखां,खमेखां व मूसेखां दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 334,489/107,656/279 व 666/297 कुल क्षेत्रफल 16.6326 हैक्टयर भूमि में वादीगण का अशुद्व नाम प्रविष्टि ईस्कर,खमीया व मूसा पिसरान अमीन खां के स्थान पर असकरखां,खमेखां व मूसेखां पिसरान अमीनखां दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 17·10·2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 103/2025
असकरखां उर्फ इस्कर उर्फ अस्कर
बनाम तहसीलदार पाटोदी

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 103/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/310

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.असकर खां उर्फ इस्कर उर्फ अस्कर पुत्र अमीन खां 2.खमेखान उर्फ खमीया उर्फ खमीदा पुत्र अमीन खां 3.मूसेखान उर्फ मूसाखां पुत्र अमीन खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिमरखिया तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–17.10.2025

वादीगण की ओर से श्री उमरदीन मेहर अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 17.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादीगण वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सिमरखिया तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 334,489/107,656/279 व 666/297 कुल क्षेत्रफल 16.6326 हैक्टयर भूमि में वादीगण का अशुद्ध नाम प्रविष्टि ईस्कर,खमीया व मूसा पिसरान अमीन खां के स्थान पर असकरखां,खमेखां व मूसेखां पिसरान अमीनखां दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

17/10/25

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया – –	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ------
जोड़	–	जोड़	-----

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा